

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-106/3595/पांच-8-2016-म0(345)/2012

लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/3923/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 16-01-2015 द्वारा डा0 सौम्या चौबे, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 सौम्या चौबे नियुक्ति से पूर्व एम0एस0(आब्स एण्ड गायनी) में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर, राजस्थान में अध्ययनरत थी, जिसके कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सौम्या चौबे चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 सौम्या चौबे, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-106/3595(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/फैजाबाद मण्डल ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर/बाराबंकी।
- 8- कोषाधिकारी, गाजीपुर/बाराबंकी।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।